



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 10 अक्टूबर, 2017 ई0

आश्विन 18, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-4

संख्या 1360/XXXI(4)/17/13(विविध)/2017

देहरादून, 10 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना/प्रकीर्ण

सा0प0नि0-09

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड सचिवालय निजी सचिव सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सचिवालय निजी सचिव सेवा नियमावली, 2017

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय निजी सचिव सेवा नियमावली, 2017 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

- सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड सचिवालय निजी सचिव सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह "क एवं ख" के पद समाविष्ट हैं।
- परिभाषायें 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-
- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निजी सचिव के पदों के संबंध में सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन विभाग से, और सेवा में इससे उच्चतर अन्य पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल अभिप्रेत है;
 - (ख) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
 - (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
 - (घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
 - (ङ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (च) "सचिवालय" से उत्तराखण्ड सिविल सचिवालय अभिप्रेत है;
 - (छ:) "सेवा" से उत्तराखण्ड सचिवालय निजी सचिव सेवा अभिप्रेत है;
 - (ज) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो; तथा
 - (झ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो-संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।
- (2) सेवा में नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन पारित आदेशों के द्वारा परिवर्तन न किया जाय, सेवा के सदस्यों की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

परन्तु यह कि-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार न होगा।
- (दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का 5. (1)
स्रोत

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(एक) निजी सचिव-मौलिक रूप से नियुक्त अपर निजी सचिवों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सचिवालय में इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त अपर निजी सचिवों को जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा;

(दो) वरिष्ठ निजी सचिव- मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा;

(तीन) प्रमुख निजी सचिव-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ निजी सचिवों में से, जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(चार) वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रमुख निजी सचिवों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से योग्यता/श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(पाँच) मुख्य निजी सचिव-मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिवों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में परिवीक्षा अवधि पूर्ण करते हुए न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से योग्यता/श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(छः) अपर सचिव-मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य निजी सचिवों में से जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो, योग्यता/श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

- (2) पोषक संवर्ग में यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति की पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी इस तथ्य के होते हुए भी, कि उसने अपेक्षित सेवा अवधि पूरी नहीं की है, सम्मिलित किया जायेगा।

आरक्षण 6.

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

रिक्तियों की अवधारणा 7.

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम 4 के उपनियम (2) और नियम '6' के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

भाग चार— पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख निजी सचिव के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 8.

- (1) (क) निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख निजी सचिव के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- | | |
|--|---------|
| (1) प्रमुख सचिव/सचिव, | अध्यक्ष |
| सचिवालय प्रशासन विभाग | |
| (2) प्रमुख सचिव/सचिव, | सदस्य |
| कार्मिक द्वारा नामित एक अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से अन्यून न हो। | |
| (3) प्रमुख सचिव/सचिव, | सदस्य |
| सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से अन्यून न हो। | |

वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य निजी सचिव, अपर सचिव के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(ख) वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य निजी सचिव, अपर सचिव के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता/श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- | | |
|-----------------------|---------|
| (1) मुख्य सचिव, | अध्यक्ष |
| (2) प्रमुख सचिव/सचिव | सदस्य |
| सचिवालय प्रशासन विभाग | |
| (3) प्रमुख सचिव/सचिव | सदस्य |
| कार्मिक विभाग | |

परन्तु इस प्रकार यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समितियों में प्रत्येक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों के व्यक्ति जिनका उनमें प्रतिनिधित्व न हो, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उचित समझें सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली 2003 के प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
- (3) चयन समिति "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013" के अनुसार उपरोक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
- (4) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग पांच— नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

9.

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें ये नियम 8 के अधीन तैयार की गई सूची में हों, नियुक्तियां करेगा।
- (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति या आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

परिवीक्षा

10. (1)

- (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को—
 - (एक) निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव एवं प्रमुख निजी सचिव के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा और
 - (दो) वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य निजी सचिव एवं अपर सचिव के पद पर छः मास की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें परिवीक्षा अवधि का दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः मास से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाय।

- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो, या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हो, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ष में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण 11. (1)

उप नियम (2) के उपबन्ध, के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी, परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसे नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है, तथा
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

- (2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 12. सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो कि अपर निजी सचिव के पद पर निर्धारित की गई थी।

भाग छ:- वेतन इत्यादि

वेतनमान 13. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली में वर्तमान में पोषक संवर्ग में सृजित पदों के सापेक्ष लागू वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं।

भाग सात-अन्य उपबन्ध

पक्ष 14. किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित समर्थन संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य 15. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो इस नियमावली या विशेष विषयों का आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति विनियमन राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियन्त्रित होंगे।

सेवा की 16. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि सेवा में शर्तों में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

व्यावृत्ति 17. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
	स्थायी	अस्थायी	योग	मैट्रिक्स स्तर	वेतनमान रु0
निजी सचिव	59	—	59	10	56100—177500
वरिष्ठ निजी सचिव	29	01	30	11	67700—208700
प्रमुख निजी सचिव	14	01	15	12	78800—209200
वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव	06	03	09	13	118500—214100
मुख्य निजी सचिव	02	02	04	13 क	131100—216600
अपर सचिव	—	01	01	13 क	131100—216600
कुल योग	110	08	118		

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India', the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1360/XXXI(4)/17/(13-VIVIDH)/2017, Dehradun, dated October 10, 2017 for general information:

No. 1360/XXXI(4)/17/(13-VIVIDH)/2017
Dated Dehradun, October 10, 2017

NOTIFICATION/MISCELLANEOUS

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject the Governor is pleased to make the following rules to regulate the recruitment and service conditions of persons appointed to the Uttarakhand Secretariat Personal Secretary Service:-

THE UTTARAKHAND SECRETARIAT PERSONAL SECRETARY SERVICE RULES, 2017
PART I - GENERAL

Short Title & Commencement	1	(1)	These rules shall be called the Uttarakhand Secretariat Personal Secretary Service Rules, 2017
Status of Service	2	(2)	It shall come into force at once. Uttarakhand Secretariat Personal Secretary Service is a service which contains Group 'A' and 'B' posts.

Definitions	3	In these rules unless anything is repugnant in the subject or context:
	(a)	"Appointing Authority" in case of posts of Personal Secretary means the Secretary/Principal Secretary, Uttarakhand Secretariat Administration Department and for the posts higher to it means the Governor.
	(b)	"Constitution" means the Constitution of India.
	(c)	"Government" means the Government of Uttarakhand State.
	(d)	"Governor" means the Governor of Uttarakhand.
	(e)	"Member of Service" means a person appointed permanently / substantively under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules.
	(f)	"Secretariat" means the Uttarakhand Civil Secretariat.
	(g)	"Service" means the Uttarakhand Secretariat Personal Secretary Service.
	(h)	"Substantive appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and; if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.
	(i)	"Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II - CADRE

Cadre of Service	4	(1)	The strength of the employees/ officers appointed in service and the number of posts in each category shall be as determined by the Government from time to time.
		(2)	The strength of the employees/ officers appointed in service and of post in each category their in shall be unless changed by passing orders under sub-rule-1, as per the strength of member appointed in service in and of posts in each category given in the appendix "A":-
			Provided that:
		(i)	the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation.
		(ii)	the Governor may create such additional temporary or permanent posts from time to time as may he may consider proper.

PART III - RECRUITMENT

Source of Recruitment	5	(1)	Recruitment to different categories of posts in the service shall be made from the following sources :-
------------------------------	----------	-----	---

- (i) **Personal Secretary:-** From amongst the substantively appointed Additional Personal Secretaries who have completed ten years' service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment, through selection committee by promotion on the basis of seniority by rejecting the unfit;
 Provided that in case the candidates suitable for promotion are not available the eligibility criteria may be extended to include the substantively appointed Additional Personal Secretaries who have completed five years' service as such on the first day of the year of recruitment.
- (ii) **Senior Personal Secretary:-** From amongst the substantively appointed Personal Secretaries who have completed five years' service as such on the first day of the year of recruitment, through selection committee by promotion on the basis of seniority by rejecting the unfit;
 Provided that in case the candidates suitable for promotion are not available the eligibility criteria may be extended to include the substantively appointed Personal Secretaries who have completed three years' service as such on the first day of the year of recruitment.
- (iii) **Principal Personal Secretary:-** From amongst the substantively appointed Senior Personal Secretaries who have completed three years' service as such on the first day of the year of recruitment, through selection committee by promotion on the basis of seniority by rejecting the unfit.
- (iv) **Senior Principal Personal secretary:-** From amongst the substantively appointed Principal Personal Secretaries who have completed one year's service as such on the first day of the year recruitment, through selection committee by promotion on the basis of eligibility/merit.
- (v) **Chief Personal Secretary:-** From amongst the substantively appointed Senior Principal Personal Secretaries who have after completion of probation period, completed minimum one year's service as such on the first day of the year recruitment, through selection committee by promotion on the basis of eligibility/merit by rejecting the unfit.
- (vi) **Additional Secretary:-** From amongst the substantively appointed Chief Personal Secretaries who has completed his probation on the 1st day of requirement year by promotion on the basis of eligibility/merit.

(2)

In case a junior person is included in the eligibility criteria in the feeding cadre, the person senior to him shall also be included notwithstanding the fact that he has not completed the required service period.

Reservation 6

Reservation to the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of Uttarakhand State shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Determination of vacancies 7

The appointing authority shall determine and notify to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and other categories candidates of Uttarakhand under rule 4(2) and rule 6.

PART IV – PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTION

Procedure for recruitment by promotion to the posts of Personal Secretary, Senior Personal Secretary, Principal Personal Secretary

8

(1)

(a) Recruitment to the posts of Personal Secretary, Senior Personal Secretary, and Principal Personal Secretary shall be made on the basis of seniority by rejecting the unfit, through selection committee consisting the following:-

(1) Principal Secretary/Secretary, Secretariat Administration Department- Chairman;

(2) An officer named by the Principal Secretary/Secretary, Karmik Department not below the rank Of Additional Secretary – Member;

(3) An officer named by the Principal Secretary/Secretary, Secretariat Administration Department not below the rank of Additional Secretary- Member

Procedure for recruitment by promotion to the posts of Senior Principal Personal Secretary, Chief Personal Secretary, Additional Secretary

(b) Recruitment to the posts of Senior Principal Personal Secretary, Chief Personal Secretary and Additional Secretary shall be made on the basis of seniority through selection committee consisting the following:-

(1) Chief Secretary - Chairman

(2) Principal Secretary/Secretary Secretariat Administration Department Member

(3) Principal Secretary/ secretary Karmik Vibhag Member

Provided that in case the persons belonging Scheduled Castes/Scheduled Tribes are not included in each of the committees so constituted, the persons belonging to such Castes/Tribes not having any representation may be named by the Appointing Authority as member if he deems fit.

- (2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the provisions of Selection Promotion Eligibility-List Rules, 2003 (On posts outside the purview of Public service Commission, and place the same before the selection committee along with their character rolls and other records pertaining to them as may be considered proper.
- (3) The selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2) in accordance with the "Uttarakhand Selection Procedure for Promotion to the services under State (Outside the purview of Public Service Commission) Rules, 2013 and if considers it necessary, it may interview the candidates also.
- (4) The selection committee shall prepare a list of selected candidates on the basis of seniority and forward the same to Appointing Authority.

PART - V APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION & SENIORITY

Appointment

9

- (1) The Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order, in which they stand in list prepared under rule 8.
- (2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

10

(1)

A person appointed to a permanent post or on a vacancy against it in the service shall be -

- (i) placed in probation for a period of one year on the post of Personal Secretary, Senior Personal Secretary and Principal Personal Secretary.
- (ii) Placed in probation for a period of six months on the post of Senior Principal Personal Secretary, Chief Personal Secretary and Additional Secretary.

(2)

The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond six months and in any circumstance, beyond one year.

- (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post.
- (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
- Confirmation** 11. (1) Subject to the provision of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if -
- (a) his work and conduct is reported to be satisfactory.
 - (b) his integrity is certified; and
 - (c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
- (2) Where, in accordance with the provisions of 'Confirmation of Uttarakhand State Government Servants, Rules, 2002 (duly amended from time to time) the confirmation is not necessary, the order declaring under sub-rule (3) of rule 5 of the said rules that the concerned person has successfully completed the probation period shall be deemed to be the order of confirmation.
- Seniority** 12. The seniority of persons appointed substantively to the posts of various categories in service shall be the same as determined on the post of Additional Personal Secretary.

PART VI - PAY ETC.

- Pay-Scale** 13. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the Various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the State Government from time to time.
- (2) The scales of pay applicable against the posts created in feeding cadre at present under these rules are as given in Appendix "A".

PART VII - OTHER PROVISIONS

No recommendations other than those required under the rule applicable to the post or service will be taken into consideration. Attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Canvassing 14.

Regulation of other matters 15.

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to the Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the condition of service 16.

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in just and equitable manner.

Provided that where a rule has been framed, in consultation with the Commission, that Commission shall be consulted before the requirement of the rules are dispensed with or relaxed.

Savings 17.

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

APPENDIX "A"

Name of Post	Number of Posts			Pay Scale	
	Permanent	Temporary	Total	Matrix level	Pay Scale
Personal Secretary	59	-	59	10	56100-177500
Senior Personal Secretary	29	01	30	11	67700 - 208700
Principal Personal Secretary	14	01	15	12	78800 - 209200
Senior Principal Personal Secretary	06	03	09	13	118500 - 214100
Chief Personal secretary	02	02	04	13 a	131100 - 216600
Additional Secretary	---	01	01	13 a	131100 - 216600
Total	110	08	118		

By Order,

ANAND BARDHAN,
Principal Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 17 अक्टूबर, 2011 ई०

आश्विन 25, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-2

संख्या 2470 / XXXI(2) / 2011-23(विविध) / 2010

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा नियमावली, 2011

भाग-एक

सामान्य

- | | | | |
|---------------------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) | इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा नियमावली, 2011 है। |
| | | (2) | यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |

2. उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम-1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2001), समय-समय पर यथा संशोधित, की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों का पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी, जिनको सचिवालय के अपर निजी सचिवों के अधिष्ठान से सम्बन्धित मामले आबंटित हों, अभिप्रेत है;

(घ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष के जुलाई माह की प्रथम तिथि से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(च) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो;

(ज) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(झ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा" से उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा अभिप्रेत है;

(ट) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

भाग-दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तु:

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
- (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन

भर्ती

- भर्ती का स्रोत 5. अपर निजी सचिव के पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
- आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार देय होगा।

भाग-चार

अर्हताएँ

- राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:
- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो।

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) अथवा (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न जारी करने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएँ 8. अपर निजी सचिव के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अर्हताएँ धरित करना आवश्यक होगा:-

(एक) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना।

(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम अस्सी शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर टंकण में 40/40 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।

अधिमानी अर्हताएँ 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में एक अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली गयी हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की गयी हो;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी कि विहित की जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति तथा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

दैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो;

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक व शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 (भाग-2 से 4) के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग-पांच भर्ती की प्रक्रिया

- रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति, प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।
- आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. (1) आयोग द्वारा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जायेगा। प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन-पत्र, विज्ञापन में विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।
- (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।
- (3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की, उनकी योग्यता के कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार की जायेगी और उसमें उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जितने नियुक्ति के लिए उचित समझे जायें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कुल प्राप्तांक बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम सूची में ऊपर रखे जायेंगे। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

भाग-छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

- नियुक्ति 16. नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिस क्रम में वे नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
- परिवीक्षा 17. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय, परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाय समाप्त की जा सकती है।
- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम-(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाय समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति करने तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्यावर्तित कर सकता है।

- स्थायीकरण 18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परीवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति को परीवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीवीक्षा अवधि के अन्त में, स्थायी कर दिया जायेगा, यदि
- (क) उसने प्रशिक्षण, यदि कोई विहित हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,
- (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय, और
- (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।
- (2) जहाँ उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम-(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
- ज्येष्ठता 19. सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात

वेतन आदि

- वेतनमान 20. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय लागू वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।
- परीवीक्षा अवधि में वेतन 21. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परीवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,
- (2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परीवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ

अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन 22. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन 23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
- सेवा की शर्तों में शिथिलता 24. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;
- परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।
- व्यावृत्ति 25. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4 का उप नियम (2) एवं नियम 20 का उप नियम (2) देखिये)

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान		
		स्थायी	अस्थायी	योग	वेतन बैंड	वेतनमान (रु०)	ग्रेड वेतन
01.	अपर निजी सचिव	138	43	181	02	9300-34800	4600

आज्ञा से,

एस० राजू,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2470/XXXI(2)/2011-23(Vivid)/2010, Dated 17 October, 2011 for general information.

No. 2470/XXXI(2)/2011-23(Vivid)/2010
Dated Dehradun, October 17, 2011

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Secretariat Additional Private Secretary Service.

**THE UTTARAKHAND SECRETARIAT ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY
SERVICE RULES, 2011**

PART-I

GENERAL

**Short title and
Commencement**

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Secretariat Additional Private Secretary Service Rules, 2011.
(2) They shall come into force at once.

**Status of the
Service**

2. The Uttarakhand Secretariat Additional Private Secretary Service comprises Group "C" posts.

Definitions

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context, in these rules:-
 - (a) "Commission" means the Uttarakhand Public Service Commission;

- (b) "Other Backward Classes" means the other Backward Classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (Uttarakhand Adaptation And Modification Order-2001) as amended from time to time.
- (c) "Appointing Authority" means such Officer, not below the rank of Joint Secretary to the Government, deputed in the Secretariat Administration Department and dealing with the matters relating to the establishment of Additional Private Secretaries;
- (d) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year;
- (e) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution;
- (f) "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;
- (g) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;
- (h) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
- (i) "Service" means the Uttarakhand Secretariat Additional Private Secretary Service;
- (j) "Member of the Service" means a person substantively appointed, under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;
- (k) "Constitution" means the Constitution of India;

PART - II

CADRE

Cadre of
service

4. (1) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the Service and each category of posts therein shall be, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), as given in Appendix 'A'.

Provided that:

- (i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation;
- (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART - III

RECRUITMENT

Source of
recruitment

5. Recruitment to the posts of Additional Private Secretary shall be made by direct recruitment through the Commission.

Reservation

- 6.. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other Categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV

QUALIFICATIONS

nationality

7. For direct recruitment to a post in the service, a candidate must be:

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the condition that necessary certificate be obtained by him or be issued in his favor.

Academic
Qualification

8. A candidate, for direct recruitment to the post of Additional Private Secretary, must possess the following qualification:-

- (i) has Passed Intermediate examination of the Uttarakhand

School Education Board OR an examination recognized by the Government as equivalent thereto.

- (ii) a minimum speed of writing eighty words per minute in Hindi Shorthand and 4000 key depression per hour in Hindi Computer typing.

Preferential Qualification

9. Other things remaining the same, a candidate shall be given preference in the matter of recruitment to the Service, who has:

- (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

Age

10. For direct recruitment, a candidate must have attained minimum age of 18 years and must not have attained more than 35 years age, on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised for direct recruitment;

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand, as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The Character of a candidate, for direct recruitment to a post in the service must be such as render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government and persons convicted of an offence involving moral turpitude shall not be eligible for appointment to any post in the Service.

Marital
status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service;

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule;

Physical
Fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II (Part II to IV);

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination
of vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, and intimate to the Commission;

Procedure for
direct
recruitment
through
Commission

15. (1) The Commission shall issue advertisement for the purpose of recruitment. Application for appearing in the competitive examination shall be invited in the prescribed format given in the advertisement;
- (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission;
- (3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to

the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, prepare a list of candidates, in order of merit, as disclosed by the marks obtained by each candidate in the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in total the candidates who obtain higher marks in the written test shall be placed higher in the list. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the candidates senior in the age shall be placed higher in the selection list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

PART - VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment 16. The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15.

Probation 17. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year;

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous services rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 18. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if:-

(a) he has successfully completed the training, if any prescribed;

(b) his work and conduct have been found to be satisfactory, and

(c) his integrity is certified

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002 (as amended from time to time) confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules, declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority 19. The seniority of persons substantively appointed on any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 (as amended from time to time).

PART-VII

PAY ETC.

Scale of Pay 20. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various

categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

- (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix 'A' of these rules.

Pay during
Probation

21. (1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service.
- (2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules.
- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service, shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

22. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of
other
matters

23. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation
from the
conditions of
service

24. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service cause undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject

to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner;

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission. That body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

25. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix 'A'

(See Sub Rule (2) of Rule-4 and Sub Rule (2) of Rule-20)

S.N.	Designation	No. of Post			Pay		
		Permanent	Temporary	Total	Pay Band	Pay Scale (Rs.)	Grade Pay
1-	Additional Private Secretary	138	43	181	02	9300-34800	4600

By Order,

S. RAJU,

Principal Secretary.